न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर :– 20/2023

वादीगण :–

1. गोकुलचन्द पुत्र श्री गणपत जाति खटीक उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 267 गोकुलपुरी, दिल्ली।
2. गोरधन पुत्र श्री गणपत जाति खटीक उम्र 51 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 225 गोकुलपुरी, दिल्ली।
3. महेन्द्र पुत्र श्री गणपत जाति खटीक उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 231 गोकुलपुरी, दिल्ली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मोहनीदेवी पुत्री श्री गणपत पत्नी हरिलाल बागड़ी जाति खटीक उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 300 गोकुलपुरी, दिल्ली।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार महोदय, नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान।

दावा वास्ते भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री महावीर प्रसाद शर्मा अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांकः– 28.07.2023

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा कस्बा नावां पटवार हल्का नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि 2032/769 रकबा 1.4500 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है, जिसकी नकल चालु जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस बतौर सबूत वादपत्र के साथ पेश किये। उपरोक्त आराजी भूमि स्वर्गीय श्री गणपतराम की कब्जेशुदा खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही थी तथा स्वर्गीय श्री गणपतराम जी के स्वर्गवासोपरान्त उनके हक हिस्से की आराजी भूमि में उनके जायज वारिसान गोकुलचन्द, गोरधन, महेन्द्र पिसरान गणपतराम व मोहनीदेवी, मंगलीदेवी, सन्तोषदेवी, विमलादेवी पुत्रियां गणपतराम व बिलासीदेवी पत्नी गणपतराम हिस्सा बराबर 1/8–1/8 काबिज हुए तथा सभी का फौतगी नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

के बाद खाता खतोनी में अमल दरामद हुआ है। गणपतराम जी के स्वर्गवासोपरान्त उनके जायज वारिसान मंगलीदेवी, सन्तोषदेवी, विमलादेवी पत्रियां गणपतराम व बिदामीदेवी पत्नी गणपतराम ने अपने हक व हिस्से की सम्पूर्ण आराजी भूमि का हकत्याग अपने सगे भाई एवं पुत्रगण वादीगण के पक्ष में कर दिया था, जिससे उपरोक्त आराजी भूमि में राजस्व रिकार्ड के मुताबिक 7/24 वां हिस्सा वादी संख्या 1 गोकुलचन्द का 7/24 वां हिस्सा वादी संख्या 2 गोरधन का, 7/24 वां हिस्सा वादी संख्या 3 महेन्द्र का व 1/8 वां हिस्सा प्रतिवादीया संख्या 1 मोहनीदेवी का रहा है। स्वर्गीय श्री गणपत राम जी का स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त आराजी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काश्त कर उपज का बंटवारा करते रहे थे। वर्ष 2005 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने सुविधानुसार काश्त करने के लिए भौतिक बंटवारा कर लिया था जिसमें पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्से में रखा गया तथा पश्चिमी तरफ का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में रखा गया। वादीगण के हक व हिस्से की आराजी भूमि के हद्–हदुद निम्नवत् है:–उत्तर दिशा में– कस्बा नावां से प्लान्टों में जाने का आम रास्ता। दक्षिण दिशा में– कस्तुरी केम्प फुड़ प्रा.लि. मैसर्स प्रमोद कुमार काला व विष्णु कुमार गोयल। पूर्व दिशा में – आनन्दीलाल की कृषि भूमि। पश्चिम दिशा में – प्रतिवादीया संख्या 1 की कृषि भूमि। जिसका नजरी नक्शा वादपत्र में पेश किया है। उपरोक्त आराजी भूमि में वर्ष 2005 के बाद वादीगण ने अपने हक हिस्से की आराजी भूमि के चारों तरफ पत्थर गाड़कर सीमा कायम कर रखी है तथा प्रतिवादीया ने भी अपने हक हिस्से की आराजी भूमि की सीमा कायम कर रखी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से माफिक भौतिक बटवारे के अनुसार अलग से खाता–खतौनी करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीया संख्या 1 ने भू–विभाजन करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है, जबकि वादीगण अपनी उपरोक्त आराजी भूमि की माफिक भौतिक बटवारें के अनुसार भू–विभाजन करवाकर सेपरेट हॉल्डिंग कायम करवाने के पूर्ण कानूनी मुश्तहक है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से माफिक भौतिक बटवारे के अनुसार अलग से खाता–खतौनी करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीया संख्या 1 ने भू–विभाजन करवाने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है, जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कतई कोई विधिक अधिकार नही होने पर प्रतिवादीया ने वादीगण को ऐलानियॉ धमकी दी है, कि मैं उक्त आराजी में उत्तर–दक्षिण बटवारां नही कर पूर्व–पश्चिम बटवारां कर उत्तरी तरफ का हिस्सा लूंगी, जबकि प्रतिवादीया को वर्ष 2005 में किये गये बटवारें के अनुसार बाध्य है, इस हेतु प्रतिवादीया को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी सरकार के प्रतिनिधि होने से फोर्मल पक्षकार है। मौजा क[illegible] पटवार हल्का नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि [illegible] 769 [illegible] 1.4500 हैक्टर सम्पुर्ण भूमि में से मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार 7/[illegible] वें हिस्से की भूमि का वादी संख्या 1 व 7/24 वें हिस्से की भूमि का वादी संख्या [illegible] व 7/24 वें हिस्से की भूमि का वादी संख्या 3 काविज खातेदार कृषक् है तथा 1/8 वें हिस्से की प्रतिवादीगण संख्या 1 काविज खातेदार कृषक् है उक्त वादीगण की आराजी भूमि का मुताबिक वादपत्र के पैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

संख्या 4 के अनुसार व नजरी नक्शे के अनुसार वाई मिट्स ऑफ वाउण्ड भू–विभाजन किया जाकर सेपरेट हॉल्डिंग की जावें तथा खाता–खतौनी अलग की जावें तथा वादीगण की उक्त भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न तो स्वंय करें, न ही अपने ऐजेन्टो से करावें, न ही तारवन्दी व सीमा को नष्ट–भष्ट करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पावन्द फरमाया जावें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीया फरमाने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की तामील अखवार दैनिक भास्कर दिनांक 14.04.2023 में प्रकाशित करने के वावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रतिवादी संख्या 2 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के वावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी गोरधन, पी. डब्ल्यू.2 वादी महेन्द्र, पी.डब्ल्यू.3 गवाह डालचन्द पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी नावां तहसील नावां के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी वंद की गई। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। वादीगण तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां ने वंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादीगण की अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा कस्बा नावां पटवार हल्का नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि 2032/769 रकबा 1.4500 हैक्टर भूमि में वादीगण की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार भू–विभाजन किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा कस्बा नावां पटवार हल्का नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि 2032/769 रकबा 1.4500 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार वादी संख्या 1 गोकुलचन्द, वादी संख्या 2 गोरधन, वादी संख्या 3 महेन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव एवं बंटवारा प्रस्ताव के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावा (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावा (नागौर)

अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला नागौर, राज.**
अज अदालत :– श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. गोकुलचन्द पुत्र श्री गणपत जाति खटीक उम्र 53 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 267 गोकुलपुरी, दिल्ली।
2. गोरधन पुत्र श्री गणपत जाति खटीक उम्र 51 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 225 गोकुलपुरी, दिल्ली।
3. महेन्द्र पुत्र श्री गणपत जाति खटीक उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 231 गोकुलपुरी, दिल्ली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मोहनीदेवी पुत्री श्री गणपत पत्नी हरिलाल वागड़ी जाति खटीक उम्र 61 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 08, कस्बा नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान हाल निवासी सी. 300 गोकुलपुरी, दिल्ली।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार महोदय, नावां तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान।

मुकदमां नम्बर :– 20 / 2023 **निर्णय दिनांक :–** 28.07.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री महावीर प्रसाद शर्मा अधिवक्ता वादीगणको डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मौजा कस्बा नावां पटवार हल्का नावां तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि आराजी भूमि 2032/769 रकबा 1.4500 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार वादी संख्या 1 गोकुलचन्द, वादी संख्या 2 गोरधन, वादी संख्या 3 महेन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित कर भू–विभाजन किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव एवं बंटवारा प्रस्ताव के साथ सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

मौका बंटवारा प्रस्ताव

आज दिनांक 17.7.2023 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावां के आदेश क्रमांक /रीडर/2023/97 दि. 12.7.2023 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के प्र.नं. 20/2023 में निर्णय दि. 11.7.2023 के अनुसार कस्बा नावां के ख.नं. 2032/769 रकबा 1.45 हैक्टर की मौका बंटवारा प्रस्ताव बाबत हमराह हल्का पटवारी नावां व भू.अ.नि. नावां के साथ मौके पर पहुंचा, मौके की बंटवारा स्कीम निम्नानुसार है —

नजरी नक्शा

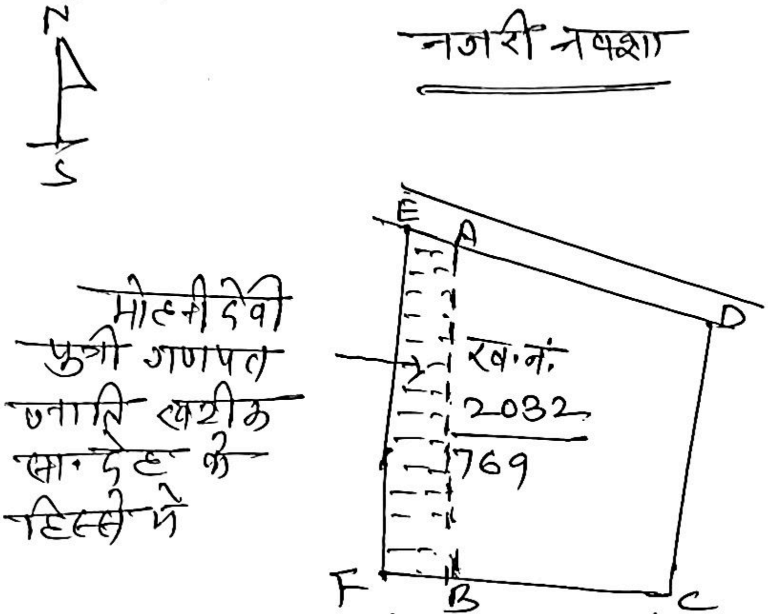

(1) यह है कि मौके पर ख.नं. 2032/769 रकबा 1.45 हैक्टर में पश्चिमी ओर 0.18125 हैक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 मोहनीदेवी पुत्री गणपत जाति खटीक मो. देह के हक हिस्से में है। नजरी नक्शे में ABFE लाल स्याही से (डॉटेड) दर्शित है।

(2) यह है कि ख.नं. 2032/769 पूर्वी हिस्सा रकबा 1.26875 हैक्टर वादी सं. 1, 2 व 3 के हिस्से में रहेगी प्रत्येक का 1/3, 1/3, 1/3 रहेगा। [illegible] में ABCD से दर्शित [illegible] पढ़कर सुनाकर उपस्थित मौका बंटवारा [illegible] के हस्ताक्षर करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.08.03 17:33:53 IST
Reason: SelfAttested

17/07/23

Hemraj Jiwan
नावां

महेन्द्र कुमार

Rahul Kala S/o Pramod Kumar Kala.

LVR नावां 17/7/2023